:: सूचना ::

आगामी शैक्षिक सत्र 2007–08 का सत्रारम्भ 30 जुलाई, 2007 से होगा। बी0टेक0 / एम0सी0ए0 पाठ्यक्रम के छात्रों के पंजीकरण तथा शिक्षण / प्रशिक्षण के लिये निम्नोक्त समय सारिणी निर्धारित की गई है:

दिनांक	कक्षा जिनका प्रोविजनल पंजीकरण होना है	कक्षा जिनका शिक्षण कार्य प्रारम्भ होना है
30 जुलाई, 2007, सोमवार	बी0टेक0 / एम0सी0ए0 द्वितीय वर्ष	–
31 जुलाई, 2007, मंगलवार	बी0टेक0 तृतीय वर्ष	बी0टेक0 / एम0सी0ए0 द्वितीय वर्ष
01 अगस्त, 2007, बुधवार	बी0टेक0 / एम0सी0ए0 अन्तिम वर्ष	बी0टेक0 तृतीय वर्ष
02 अगस्त, 2007, ब्रहस्पतिवार	–	बी0टेक0 / एम0सी0ए0 अन्तिम वर्ष

विभिन्न पाठ्यक्रम के छात्रों को सत्रारम्भ पर शुल्क के रूप में आद्यतन प्रभावी शासनादेश(शों) के अनुसार निम्न राशि का भुगतान संस्थान तथा विश्वविद्यालय शुल्क के मद में करना होगाः

		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
बी0टेक0	सामान्य–प्रोन्नत	रू0 30950/–	रू0 28350/–	रू0 28350/–	रू0 28350/–
	सामान्य–पुर्नप्रवेश प्राप्त	रू0 28350/–	रू0 28350/–	रू0 28350/–	रू0 28350/–
	अप्रवासी–प्रोन्नत	$5000* + रू0 5950/–	$5000* + रू0 3350/–	$5000* + रू0 3350/–	$5000* + रू0 3350/–
	अप्रवासी–पुर्नप्रवेश प्राप्त	$5000* + रू0 3350/–	$5000* + रू0 3350/–	$5000* + रू0 3350/–	$5000* + रू0 3350/–
एम0सी0ए0	सामान्य–प्रोन्नत	रू0 24950/–	रू0 22350/–	रू0 22350/–	–
	सामान्य–पुर्नप्रवेश प्राप्त	रू0 22350/–	रू0 22350/–	रू0 22350/–	–
एम0टेक0 (गेट क्वालीफाइड)		रू0 22950/–	रू0 20350/–	–	–

* भारतीय मुद्रा में समतुल्य राशि का भुगतान 1 अगस्त 2007 को डालर (यू0एस0ए0) के प्रचलित विक्रय मूल्य पर आधारित होगा।

उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त छात्रों को चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान अलग से कराना होगा जिसकी सूचना छात्रों को संस्थान की वेबसाइट पर जुलाई के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध होगी।

छात्र, शुल्क भुगतान निदेशक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर के पक्ष में आहरित एवं किसी राष्ट्रीकृत बैंक की कानपुर भााखा पर देय बैंक ड्राफ्ट / बैकर्स चेक के माध्यम से भी कर सकते हैं। किसी भी दशा में पंजीकरण के समय प्रभावी शासनादेश(शों) में निर्धारित राशि से कम शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई छात्र निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क जमा करता है तो उसकी वापसी सम्भव नहीं होगी। अतः छात्र के स्वयं के हित में परामर्श दिया जाता है कि वह प्रभावी शासनादेश(शों) के अनुसार निर्धारित शुल्क का ही भुगतान करें।

समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत जिन छात्रों को शैक्षिक सत्र 2006–07 के लिये अनुशांसित किया जा चुका है अथवा भाासन द्वारा भविश्य में पात्रता के सन्दर्भ में आय सीमा सम्वर्धन का जो संशोधन किया जाता है उसके अन्तर्गत पात्र छात्र, समाज कल्याण विभाग की प्रभावी योजना (यदि योजना लागू रहती है) के व्यवस्थान्तर्गत शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फी) तथा परीक्षा शुल्क को छोड कर शेष अन्य शुल्क मात्र के भुगतान के

साथ पंजीकरण हेतु इस योजना की औपचारिकता पूर्ण करने के लिये अपने पारिवारिक आय के प्रमाण पत्र के साथ पंजीकरण की तिथि को उपस्थित होंगे। छात्रवृत्ति अनुशंसा समिति द्वारा अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना इस सुविधा के अन्तर्गत पंजीकरण सम्भव न होगा।

(अनिल कुमार शुक्ला)
उपकुलसचिव

<u>कार्यालय निदेशक</u>
हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

सं0: 383/शैक्षिक/पंजी0/2006–07 दिनांक: 23/05/2007

प्रतिलिपि निम्नोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त अधिश्ठाता, विभागाध्यक्ष, अनुभाग प्रभारी, कार्यशालाधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एच0बी0टी0आई0 कानपुर को संज्ञानार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि इसे विभागीय सूचनापट्ट पर छात्रों के सूचनार्थ प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
2. अधिश्ठाता, छात्र कल्याण, एच0बी0टी0आई0, कानपुर को दस प्रतियॉ इस अनुरोध के साथ कि इसे छात्रावासों के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करने हेतु सम्बन्धित कर्मी को निदेशित करने का कष्ट करें।
3. परीक्षाधीक्षक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर को इस अनुरोध के साथ कि इसे परीक्षा के दौरान छात्रों के संज्ञानार्थ कक्षाओं में भी प्रदर्शित करवाने हेतु उचित ब्यवस्था करने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. सिस्टम मैनेजर, एच0बी0टी0आई0 कानपुर को इस आशय के साथ कि उक्त सूचना को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. चीफ प्राक्टर एच0बी0टी0आई0 कानपुर।
6. कुलसचिव/लेखाधिकारी एच0बी0टी0आई0 कानपुर।
7. सहायक अभियन्ता एच0बी0टी0आई0 कानपुर।
8. वैयक्तिक सहायक निदेशक महोदय को इस अनुरोध के साथ कि इसे कृपया निदेशक जी के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।
9. सूचनापट्ट, शैक्षिक अनुभाग।

(अनिल कुमार शुक्ला)
उपकुलसचिव